

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-380) अलेसे-1/1750-1754

दिनांक:- 05/04/2024

आदेश

श्री पीराराम स्वर्णकार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 2657), कार्यालय, कोषाधिकारी, जालोर ने स्वयं के नाम परिवर्तन की राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री पीराराम स्वर्णकार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय, कोषाधिकारी, जालोर का नाम परिवर्तन कर, "पीराराम स्वर्णकार" के स्थान पर "पीराराम सोनी" करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-380) अलेसे-1/1750-1754

दिनांक:- 05/04/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, जालोर।
2. श्री पीराराम सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय, कोषाधिकारी, जालोर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगरी)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)